न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 112/2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. नाथु पुत्र गोदू।
2 रूघनाथ पुत्र गोदू।
3 फूला पुत्र गंगू।
4 श्यामा पुत्र गंगू।
5 प्रभाती देवी पत्नी रामपाल।
6 घीसा पुत्र बोदुराम समस्त जाति अहीर निवासीगण उदयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।

बनाम

1 धूड़ाराम पुत्र रामदेव।
2 महेन्द्र कुमार पुत्र फूलचन्द।
3 छगन पुत्र बोदुराम।
4 भूरी देवी पत्नी अर्जुन।
5 मूलचन्द पुत्र रामकुमार।
6 सांवलराम पुत्र रामकुमार।
7 लाडा देवी पत्नी प्रभु।
8 मोहन पुत्र प्रभु।
9 कैलाश पुत्र प्रभु।
10 भागोती पुत्री प्रभु।
11 आंची पुत्री प्रभु।
12 मंगली पुत्री प्रभु।
13 भागली पत्नी रामकरण।
14 मिश्री पुत्री रामकरण।
15 संज्या पुत्री रामकरण समस्त जाति अहीर (यादव) निवासीगण उदयपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर।
16 एस.बी.आई. शाखा श्रीमाधोपुर जरिये प्रबन्धक।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

17 शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा जाजोद जरिये प्रबन्धक।
18 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पलसाना जरिये प्रबन्धक।
19 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीमाधोपुर जरिये प्रबन्धक।
20 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक गोविन्दपुरा जरिये प्रबन्धक।
21 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।

प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्राथमिक विधिक आपत्ति

उपस्थिति :

1. श्री रणजीत सिंह, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—आदेश—

दिनांकः—05.12.2019

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला द्वारा मुकदमा संख्या 104/2017 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में कैवियट होने पर कैवियटकर्ता को तलब किया गया एवं उभयपक्ष को स्थगन एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 की और से प्रस्तुत प्राथमिक विधिक आपत्ति पर सुना गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नही किया गया। रास्ते का समुचित प्रावधान नही किया गया है अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना विचाराधीन आदेश पारित किया गया है अत स्थगन आवेदन स्वीकार किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है स्थगन आवेदन सारहीन है खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने प्राथमिक विधिक आपत्ति का आवेदन प्रस्तुत कर तर्क दिया कि अपीलांट ने प्राथमिक

प्रभारी अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्व एक ही अपील प्रस्तुत की है प्रथक–प्रथक अपील प्रस्तुत नही की है। अत अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया है कि प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की अपील एक साथ करने से प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विपरित प्रभाव नही पड़ता है विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व है गुणावगुण पर निर्णय विचारण न्यायालय की पत्रावली आने के पश्चात किया जाना शेष है। अत प्राथमिक आपत्ति खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला द्वारा प्रकरण संख्या 104/2017 मे पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 25.06.2019 एवं अन्तिम निर्णय व डिक्री दिनांक 23.10.2019 के विरूद्व एक ही अपील प्रस्तुत की गई है अर्थात प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की प्रथक–प्रथक अपील प्रस्तुत नही की गई है। सिविल प्रकिया संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री की अपील अलग–अलग प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में विधिक प्रावधानों के विपरित होने से अपीलांट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपीलांट चाहे तो विधिक प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक एवं अन्तिम डिक्री के विरूद्व अलग–अलग अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 0512.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर